मदन सिंह दरोगा V/S राज्य सरकार वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुकदमा 51/11	
14.07.2017—	पत्रावली चिन्हित होने से लोक अदालत केम्प पर तलब की गयी। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द तहसील आसीन्द में आराजी नम्बंर 3409/6972, 3410/6971 किता–2 रकबा 0.20 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी के मूल नम्बंर 3409, 3410 थे जिसके बटटा नम्बंर 3409/6972, 3410/6971 बनाये गये जिनके साबिक आराजी नम्बंर 757 थे प्रार्थीगण के पूर्वज रामा मांगू पिता बलदेव दरोगा के नाम पर साबिक आराजी नम्बंर 756, 757, 786 किता–3 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जो कि सेटलमेन्ट के बाद नये नम्बंर 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 3418, 3419 3420, 3421 किता–12 रकबा 2.71 है0 के रूप में कायम किये गये। चुकि मौके पर विघमान आराजी नम्बंर 3409/6972, 3410/6971किता–2 रकबा 0.20 है0 भूमि जिस पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु सेटलमेन्ट के कर्मचारियो बिना किसी आधार के बिलानाम सरकार अंकित कर दी जब की उक्त आराजी के साबिके आराजी नम्बंर 757 प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम अंकित थी जिसके नये नम्बंर उक्त कायम करते हुए आराजी नम्बंर 3409 व 3410 के बटटा नम्बंर 3409/6972, 3410/6971 किता–2 रकबा 0.20 है0 भूमि रेकार्ड एंव मौके के अनुसार नक्शे का मिलान करने पर उक्त भूमि प्रार्थीगण की होना प्रतीत करता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे की विपक्षीगण प्रार्थीगण की कृषि आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप दखल अन्दाजी नही करे करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा उपस्थित नही होने व जवाब पेश नही करने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये	सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner

जाते है अतः दौराने केम्प पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन एंव अध्ययन किया गया कि जिससे जाहिर आया कि विवादित आराजीयात वर्तमान में बिलानाम सरकार राजकिय आराजी होना प्रकट आया है। जिससे खातेदार को बिना साक्ष्य के निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा व कब्जा होने बाबत विनिश्चय मूल वाद में साक्ष्य सबुत पेश होने पर ही तय किये जा सकेगे। प्रथम दृष्टिया मामला व अन्य 02 बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्णतयाः नही पाये जाते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य पाये जाने से न्यायालय खारीज किया जाता उचित समझता है।

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाड़ा) लोक अदालत-2017

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नम्बंर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को लोक अदालत केम्प आसीन्द पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(बलवन्तसिहं लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner